प्रेस विज्ञप्ति

20.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रामाडोल के अवैध निर्यात के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19/02/2025 को 5.67 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमि, भवन और कारखाना परिसर शामिल हैं।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 36ए के तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), बैंगलोर जोनल यूनिट द्वारा साइकोट्रॉपिक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन, भारत से उनके अवैध निर्यात, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दिए गए आदेशों का उल्लंघन और मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए विभिन्न निर्यात प्राधिकरणों से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जालसाजी के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान स्थित ग्राहकों सहित अपने विदेशी ग्राहकों को ट्रामाडोल के निर्माण और निर्यात के व्यवसाय में है। कंपनी ने शुरू में पाकिस्तान को ट्रामाडोल निर्यात करने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से एनओसी प्राप्त की थी। इसके बाद, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने पाकिस्तान को ट्रामाडोल के निर्यात के लिए एनओसी के लिए किसी भी आवेदन को मंजूरी नहीं दी। हालांकि, मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और निदेशकों ने डेनमार्क स्थित मेसर्स सीएचआर ओलेसेन फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से पाकिस्तान को 4.12 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 13,800 किलोग्राम ट्रामाडोल और मलेशिया स्थित मेसर्स एसएम बायोमेड के माध्यम से पाकिस्तान को 1.33 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 5000 किलोग्राम ट्रामाडोल का अवैध रूप से निर्यात किया और निर्यात आय प्राप्त की। इस तरह, मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान को ट्रामाडोल के अवैध निर्यात के परिणामस्वरूप अपने बैंक खातों में कुल 5.46 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध आय (पीओसी) उत्पन्न की और प्राप्त की।

आगे की जांच जारी है।